

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

01/6/25

पत्राण आज पेश हुई। प्राची वकील इफ०।  
रहसीलदार नद्वरे द्वारा पत्राण 429 दिनांक  
20/5/25 से रिपोर्ट रिजल्ट गरी। प्राची वकील  
की बहस सुनी गरी। प्राची वकील द्वारा  
बहस में उच्यन रहे कि राजस्व रिपोर्ट में  
प्राची का नाम पप्पू पुत्र बहोरी गतत अंकित  
हो गया है जबकी प्राची का सही नाम  
शन्तीराम पुत्र बहोरी है। हमने पत्राण में उपलब्ध  
रिपोर्ट एवं रहसीलदार नद्वरे द्वारा प्रस्तुत  
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो पाया गया  
कि मुद्राण रहसीलदार रिपोर्ट प्राची शन्तीराम पुत्र  
बहोरी जाती जायब नि० करीली का खं. नं.  
66 रकबा 0.75 है, वाके ग्राम कस्बा नद्वरे  
प्रम है। वर्तमान रिपोर्ट में खं. नं. 66 पर  
पप्पू पुत्र बहोरी जाती जायब नि० करीली पत्र  
रिपोर्ट है। प्राची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार  
पर शन्तीराम उर्फ पप्पू पुत्र बहोरी दर्ज है।  
खं. नं. पप्पू पुत्र बहोरी सहका से दर्ज हो गया है।  
शन्तीराम उर्फ पप्पू पुत्र बहोरी एक ही व्यक्ति है।  
अतः वादी का प्राचीला पत्र स्वीकार किया  
जाकर वाके ग्राम ~~करीली~~ <sup>कस्बा नद्वरे</sup> के खं. नं. 66 रकबा  
0.75 है में पप्पू पुत्र बहोरी का दुरुस्त किया जाकर  
शन्तीराम पुत्र बहोरी किये जाने की अनुमति उपान  
की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में  
अंकन किया जावे। पत्राण फंसल शुमार होकर  
दरिबल दफ्तर हो 

